-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 14.08.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना अतर्रा व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा टप्पेबाजी/चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के 03 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार। घटना में शामिल एक बाल अपचारी को भी लिया गया पुलिस अभिरक्षा में। अभियुक्तों के कब्जे से 27800/ रुपए व 04 मोबाइल फोन बरामद।**
- **गिरोह द्वारा बैंक, बाजारों आदि भीड़-भाड़ वाले स्थानों आदि पर टप्पेबाजी/चोरी की घटनाओं को दिया जाता था अंजाम। दिनांक 02.08.2025 को कस्बा अतर्रा में एक बैंक में महिला के साथ 35 हजार रुपए की, की गई थी टप्पेबाजी/चोरी।**

विवरण– पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा विभिन्न अभियोगों में वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अतर्रा व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा टप्पेबाजी/चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के 03 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा घटना में शामिल एक बाल अपचारी को भी संरक्षण में लिया गया। गौरतलब हो कि कस्बा अतर्रा की रहने वाली ललिता देवी ने दिनांक 02.08.2025 को थाना अतर्रा पर सूचना दी कि वह अपने 35 हजार रुपए लेकर बैंक में जमा करने गई थी तभी किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बैग में रुपए निकाल लिए गए। इस सम्बन्ध में थाना अतर्रा पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे इस क्रम में आज दिनांक 14.08.2025 को थाना अतर्रा व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम भ्रमणशील थी इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि अतर्रा पुरानी तहसील के पास कुछ महिलाएं व पुरुष संदिग्ध रुप से खड़े है तथा किसी घटना को अंजाम देने वाले है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर जाकर घेराबन्दी करते हुए दो महिलाए व एक पुरुष को हिरासत में लिया गया तथा एक बाल अपचारी को भी अभिरक्षा में लिया गया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 27 हजार 800 रुपए नगद तथा 04 मोबाइल फोन बरामद हुए। कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि उनका एक संगठित टप्पेबाजी/चोरी का गिरोह है जो मध्य व प्रदेश उत्तर में घूम-घूमकर दुकानों, बैंको, बाजारों, ज्वैलरी की दुकानों तथा भीड़-भाड़ वाले आदि स्थानों पर रुपए लेकर चलने वालो की रेकी कर टप्पेबाजी/चोरी करते है तथा अपने साथ पानी की बोतल या कोल्ड ड्रिंक में हल्का नशीला पदार्थ मिलाकर रखते है मौका मिलने पर या उन्हे गर्मी/प्यास लगने आदि के बहाने से पीला देते है, जब उन्हे पीने के बाद चक्कर आता है तब लोगों के पर्स, रुपए आदि की चोरी कर लेते है। कुछ दिन पूर्व कस्बा अतर्रा में एक महिला जो एक बैंक से रुपए निकालकर दूसरे बैंक में जमा करने जा रही थी तभी उनके द्वारा महिला का पीछा करके बैंक में जाकर उसके 35 हजार रुपए चोरी कर लिए थे। पुलिस टीम द्वारा इस सम्बन्ध में विस्तृत जांच की जा रही है कि इनके गिरोह में और कितने लोग शामिल है तथा इनके द्वारा किन-किन जनपदों में टप्पेबाजी/चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया।

बरामदगी-

- 27 हजार 800 रुपये नगद टप्पेबाजी/चोरी के
- 04 मोबाइल फोन

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. स्वेता सिसौदया पुत्री सुधीर सासी निवासी गुलखेडी थाना बोड़ा जनपद राजगढ (म0प्र0)।
2. सोनम सिसौदिया (सासी) पत्नी बब्लू सासी गुलखेडी थाना बोड़ा जनपद राजगढ (म0प्र0)।
3. विकास सिसौधिया(सासी) पुत्र रामबाबू सासी निवासी कडिया थाना बोड़ा जनपद राजगढ (म0प्र0)।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 281/25 धारा 303(2)/123/112/317(2)/3(5) बीएनएस थाना अतर्रा जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री ऋषिदेव सिंह प्र0निरी0 थाना अतर्रा मय टीम
2. प्रभारी एसओजी श्री आनन्द कुमार/श्री कृष्णदेव त्रिपाठी
3. श्री प्रीत कुमार पाण्डेय चौकी प्रभारी कस्बा अतर्रा
4. उ0नि0 श्री रणजीत बहादुर
5. हे0कां0 संदीप यादव
6. हे0कां0 अश्वनी
7. कां0 अमित कुमार कुशवाहा
8. कां0 अमित कुमार त्रिपाठी
9. कां0 रजित कुमार यादव
10. म0कां0 पूजा रावत
11. म0कां0 अर्चना